प्रिय किसान भाईयों एवं बहनों,

इस परीक्षा की घड़ी में जब पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से गुजर रहा है, मै कामना करता हूँ कि सभी किसान भाई एवं बहनें इसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध करेंगे। इस भयानक महामारी के संक्रमण को रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिये हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाएं है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का सम्मान करते हुए व्यक्तिगत सफाई एवं सामाजिक दूरी (Social Distancing) बनाए रखना आवश्यक है। इस महामारी का प्रकोप ऐसे समय में हुआ है जब रबी की खाद्य फसलों जैसे गेहूँ, मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन तथा अन्य फसलों की कटाई का कार्य प्रारम्भ हो रहा है। हमें अनाज, फल-सब्जी, दूध, अण्डे, मछली एवं अन्य उत्पादों को खेत से निकालते समय अनेक सावधानियाँ बरतनी चाहिए।

इस महामारी से निपटने के लिये किसानों को जरूरी कदम उठाने का निर्देश देते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन के समय कृषि-क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। इस सम्बन्ध में अधिक विवरण जानने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 40-3/2020-DM-I(A) को भी देखा जा सकता है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कृषि उत्पादों की खरीद एवं बिक्री में लिप्त सभी एजेंसियाँ, मंडियाँ, राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित इकाईयाँ, किसान एवं कृषि श्रमिकों द्वारा किसानी कार्य, फार्म मशीनरी रहेंगी। इसके अलावा खेती में प्रयोग होने वाली कटाई एवं बुवाई से सम्बन्धित मशीनें जैसे कम्बाइंड हार्वेस्टर व अन्य कृषि एवं बागवानी में उपयोग होने वाली मशीनों को राज्य के बाहर लाने एवं ले जाने की छूट दी गई है। उक्त सभी कार्य करते समय तथा अपने खेत में स्वयं के या किराये पर लिये गये कृषि यंत्रों के प्रयोग में साफ-सफाई रखने के साथ-साथ हाथों को साबुन से धोना, एल्कोहल से रगड़ना एवं एक-दूसरे से आपसी दूरी बनाये रखना, ऐसे सामान्य उपाय है जिनको व्यवहार में लाना अनिवार्य है।

फसल, पशुपालन एवं मछली पालन से सम्बन्धित समस्याओं के समाधानों की सलाह के लिये किसान भाई एवं बहनें अपने निकटतम कृषि विज्ञान केन्द्र, भाकृअनुप-संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों से दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क कर सकते है।

कोविड-19 के कारण लॉकडाउन (बन्दी) अवधि के दौरान किसानों और कृषि क्षेत्र के लिये दिशा-निर्देश

भारत सरकार के दिशा-निर्देश *

निम्नलिखित कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों को लॉकडाउन (बन्दी) की अवधि के दौरान छूट दी गई है:

- पशु चिकित्सा अस्पताल।
- एमएसपी परिचालनों सहित कृषि उत्पादों की खरीद हेतु उत्तरदायी समस्त अभिकरण।
- जिन मंडियों का संचालन कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किया जाता है, या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
- खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन।
- फार्म मशीनरी से सम्बन्धित कस्टम हायरिंग सेन्टर (CHC)।
- उर्वरक, कीटनाशक और बीज के विनिर्माण और पैकेजिंग में कार्यरत इकाईयाँ।
- कम्बाईन हार्वेस्टर और कृषि / बागवानी उपकरणों की कटाई और बुवाई सम्बन्धित मशीनों की अन्तर्राज्यीय आवाजाही।

इन छूटों से कृषि और खेती से सम्बन्धित गतिविधियों को बिना किसी असुविधा के सुनिश्चित किया जा सकेगा ताकि आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और किसानों को लॉकडाउन (बन्दी) के दौरान भी किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। लॉकडाउन (बन्दी) के दौरान कार्यान्वयन के लिये सम्बन्धित मंत्रालयों /राज्यों और केन्द्रशासित राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

* (गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार न० 2440-3/2020-डीएम-आई(ए) दिनांक 24, 25 और 27 मार्च, 2020)

भारत सरकार के नीति-निर्देशों के आधार पर कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों से सम्बन्धित गतिविधियों को जारी रखने के लिये राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।

किसानों के लिये सलाह:

1. फसलों की कटाई एवं मड़ाई से सम्बन्धित:

देश में कोविड-19 वायरस के फैलने के खतरे के साथ रबी फसलें भी तेजी से पकने की ओर अग्रसर है। इन फसलों की कटाई एवं उन्हे बाजार तक पहुंचाने का काम एकदम वाँछनीय है क्योंकि कृषि कार्य में समय की बाध्यता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः किसानों को सावधानी एवं सुरक्षा का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि उससे महामारी का फैलाव न हो सके। ऐसी स्थिति में साधारण एवं सरल उपाय जैसे सामाजिक दूरी का निर्वाहण, साबुन से हाथ को साफ करते रहना, चेहरे पर मास्क लगाना, बचावकारी कपड़े पहनना एवं कृषि संयत्रों एवं उपकरणों की सफाई अत्यन्त आवश्यक है। किसानों को खेती के प्रत्येक कार्यों के दौरान सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए काम करना आवश्यक है। निम्नांकित कुछ सलाह बिन्दुवार है जो किसानों के लिये अति उपयोगी है।

- भारत के उत्तर प्रान्तों में गेहूँ पकने की स्थिति है। अतः इनकी कटाई के लिये कम्बाइन कटाई मशीन का उपयोग एवं प्रान्तों के अन्दर तथा दो प्रान्तो के बीच इनका आवागमन भारत सरकार के द्वारा आदेश प्रदत्त है। हालांकि इस दौरान मशीनों के रख-रखाव एवं फसल कटाई में लगे श्रमिकों की सावधानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- रबी की दूसरी महत्वपूर्ण फसल सरसों की हाथ से कटाई एवं कटे फसलों की मड़ाई जोरों से चल रही है।
- मसूर, मक्का एवं मिर्ची जैसी फसलों की भी कटाई एवं तुड़ाई चल रही है तथा चने की फसल पकने की तेज स्थिति में है।
- गन्ने की कटाई जोरों पर है तथा उत्तर भारत में इनकी रोपाई (हाथ से) का भी समय है।
- ऐसी स्थिति में समस्त किसानों एवं कृषि श्रमिकों, जो फसलों की कटाई, फल एवं सब्जी की तुड़ाई, अण्डों एवं मछलियों के उत्पादन में लगे है, उनके द्वारा इन कार्यों के क्रियान्वयन के पहले, कार्यों के दौरान एवं कार्यों के उपरान्त निजी सफाई तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है।
- फसलों की हाथ से कटाई/तुड़ाई के दरमियान बेहतर होगा कि 4-5 फीट दूरी की पट्टियों में इस काम को किया जाये तथा एक पट्टी में एक ही श्रमिक को कार्य पर रखा जाये। इस प्रकार कार्यरत श्रमिकों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित की जा सकेगी।
- कार्यरत सभी व्यक्तियों/श्रमिकों को सुनिश्चित करना चाहिये कि वे मास्क पहनकर ही काम करें तथा बीच-बीच मे साबुन से हाथ धोते रहें।

- श्रमिकों के आराम के वक्त, भोजन के समय तथा कृषि उत्पादों को इकट्ठा करते समय एवं उनकी ढुलाई के दौरान कम से कम 3-4 फीट की दूरी आपस में रखना चाहिए।
- एक ही दिन अधिक श्रमिकों को कार्य में लगाने की बजाय उस कार्य को अवधि/दिनों में बांट दिया जाये तथा खेतों में काम टुकड़ों मे किया जाये।
- जहाँ तक सम्भव हो परिचित व्यक्ति को ही खेतों के कार्य में लगायें। किसी अनजान श्रमिकों को खेतों में कार्य से रोके ताकि वह इस महामारी का कारण न बन सके।
- जहाँ तक सम्भव हो, कृषि कार्य कृषि उपकरणों से ही किया जाये न कि हाथों से तथा केवल आवश्यक व्यक्तियों को ही ऐसे संयत्रों के साथ रखा जाये।
- कृषि कार्यों में लगे संयत्रों को कार्यों के पूर्व तथा कार्यों के दौरान स्वच्छ (सेनेटाईज) किया जाना चाहिये साथ ही साथ बोरी तथा अन्य पैकेजिंग सामग्रियों को भी स्वच्छ (सेनेटाइज) किया जाना चाहिये।
- खलिहानों में तैयार उत्पादों को छोटे-छोटे ढेरों पर इकट्ठा करें जिनकी दूरी आपस में 3-4 फीट हों। साथ ही प्रत्येक ढेर पर 1-2 व्यक्ति को ही कार्य पर लगाना चाहियें तथा भीड़ इकट्ठा करने से बचना चाहियें।
- कटे हुए मक्के एवं खोदी हुई मूंगफली की मड़ाई हेतु लगाये गये मशीनों की उचित साफ-सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करें, खासकर यदि इन मशीनों को अन्य किसानों या कृषक समूहों द्वारा उपयोग किया जाता है। इन मशीनों के पार्ट्स को बार-बार छूने पर साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिये।

2. कृषि उत्पादों की कटाई उपरान्त भण्डारण तथा विपणन:

- प्रक्षेत्रों पर कुछ खास कार्यों जैसे मड़ाई, सफाई, सुखाई, सुपाई, ग्रेडिंग तथा पैकेजिंग के दौरान किसान/ श्रमिकों के चेहरों पर मास्क अवश्य लगाना चाहिये तथा वायु कण तथा धूल कण से बचा जा सकें और श्वांश सम्बन्धी तकलीफों से दूर रहा जा सके।
- तैयार अनाजों, मोटे अनाजों तथा दालों के भण्डारण के पूर्व पर्याप्त सुखा लें तथा पुराने जूट के बोरों को भण्डारण हेतु प्रयोग न करें। नई बोरियों को नीम के 5 % घोल में उपचारित कर तथा सुखाकर ही अनाजों के भण्डारण हेतु प्रयोग करें।
- शीत भण्डारों तथा सरकारी गोदामों तथा अन्य गोदामों द्वारा आपूर्ति जूट की बोरियों का उपयोग अनाज भण्डारण हेतु काफी सतर्कतापूर्वक करें।
- अपने उत्पादों को बाजार - यार्ड अथवा नीलामी मंच तक ले जाने के दौरान ढुलाई के वक्त किसान अपनी निजी सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखे।
- बीज उत्पादक किसानों को अपने बीजों को लेकर बीज कम्पनियों तक ट्रान्सपोर्ट करने की इजाजत है बशर्ते उन किसानों के पास सम्बन्धित दस्तावेज हो तथा भुगतान के वक्त समुचित सावधानी बरतें।

- बीच विधायन एवं पैकेजिंग संयत्रों द्वारा बीजो का परिगमन बीज उत्पादक प्रान्तों से फसल उत्पादक प्रान्तों तक आवश्यक है ताकि गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता आगामी खरीफ ऋतु के लिये सुनिश्चित किया जा सके (दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक) । उदाहरण के लिये अप्रेल के महीने में उत्तर भारत में हरे चारे की खेती हेतु बीज की आपूर्ति दक्षिण भारत के प्रान्तों द्वारा की जाती है।
- इनके अतिरिक्त, किसानों के द्वारा उनके प्रक्षेत्रों पर तैयार टमाटर, फूलगोभी, हरी साग, खीरा तथा अन्य लौकी वर्ग की सब्जियों के बीज के सीधे विपणन में किसानों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

3. प्रक्षेत्रों पर खड़ी फसलों से सावधानिया:

- जैसा कि ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार अधिकांश गेहूँ उत्पादक प्रान्तों में औसत तापमान विगत काफी वर्षो के औसत तापमान से कम है, अतः गेहूं की कटाई कम से कम 10-15 दिन आगे बढ़ने की सम्भावना है। ऐसी हालत में किसान यदि 20 अप्रेल तक भी गेहूं की कटाई करे तो उन्हे कोई आर्थिक नुकसान नही होगा। इस प्रकार गेहूं की सरकारी खरीद हेतु समुचित प्रबन्धन एवं तारीखों की घोषणा में भी राज्य सरकारों के लिये भी सहायक होगी।
- दक्षिण भारत के प्रान्तों में शीतकालीन (रबी) धान की फसल, दाने पुष्ट होने की अवस्था में है तथा नेक ब्लास्ट रोग से प्रभावित है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि सम्बन्धित रोगनाशी रसायन का छिड़काव सावधानीपूर्वक करें।
- इन्ही प्रान्तों में धान की कटाई की अवस्था में यदि असामयिक बारिश हो जाये तो किसानों को 5 % लवण के घोल का छिड़काव फसल पर करना चाहियें ताकि बीज अंकुरण को रोका जा सकें।
- उद्यानिकी फसलें, खासकर आम जो कि इस समय फल बनने की अवस्था मे है। आम के बागों में पोषक तत्वों के छिड़काव तथा फसल सुरक्षा के उपायों के दौरान रसायनिक निवेशों का समुचित हैण्डलिंग, समिश्रण, उपयोग तथा सम्बन्धित संयत्रों की सफाई अत्यन्त आवश्यक है।
- धान परती वाले क्षेत्रों जहाँ ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती होनी है वहाँ इन फसलों में सफेद मक्खी के प्रबन्धन हेतु रसायनों के उपयोग के दौरान समुचित सुरक्षा का पालन करे ताकि इनको पीले चितेरी विषाणु के प्रकोप से बचाया जा सके।